जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 अगस्त 2023

क्रमांक एफ 04-01/2023/चौबीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के लिए "श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना" बनाती है. अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**
   (i) इस योजना का नाम "श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना" होगा.

   (ii) यह योजना 1 अप्रैल, 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील मानी जाएगी.

2. **योजना हेतु आधार :—**
   (i) योजना का लाभ केवल आवासीय ऋण पर दिया जायेगा.

   (ii) योजना का लाभ लेने के लिये क्रय मकान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होना चाहिये.

3. **योजना की राशि :—**
   (i) ब्याज अनुदान अधिकतम रुपये 30 लाख के आवास ऋण की सीमा तक देय होगा.

4. **योजना राशि हेतु ब्याज का निर्धारण :—**
   (i) योजना के अंतर्गत संचार प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) से अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों से लिये गये आवास ऋण पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा.

5. **योजना हेतु पात्र/अपात्र :—**
   (i) योजना का लाभ न्यूनतम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर दैनिक समाचार पत्रों तथा टी.वी. न्यूज चैनल्स में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के सम्पादकीय शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधि तथा अधिमान्यता नियमों की अर्हतादायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के सम्पादक एवं स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे.

   (ii) संचार प्रतिनिधि स्वयं अथवा पत्नी के साथ संयुक्त नाम से आवास ऋण लेने पर ही इस योजना की पात्रता होगी. योजना मात्र एक आवास ऋण में ही, लागू होगी. किसी संचार प्रतिनिधि द्वारा पूर्व से अपने अथवा पत्नी के स्वामित्व का मकान योजना लागू होने के बाद अवयस्क/वयस्क संतान को अंतरित कर नया आवास लेने की दशा में योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

   (iii) पूर्व से स्वीकृत आवास ऋण पटाकर नये आवास ऋण प्राप्त करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

   (iv) संचार प्रतिनिधियों द्वारा नियमित ऋण एवं ब्याज अदायगी करने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा. डिफॉल्टर होने की स्थिति में योजना के लाभ की पात्रता स्वमेव समाप्त हो जायेगी.

6. **योजना हेतु प्रक्रिया/दस्तावेज :—**
   (i) योजना में पात्रता के लिए स्वयं अथवा पत्नी, आश्रित पुत्र-पुत्री के नाम से कोई अन्य आवासीय भवन नहीं होना चाहिए. इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा.

   (ii) शपथ पत्र के साथ संचार प्रतिनिधियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत बैंकों अथवा रजिस्ट्रीकृत वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण के प्रमाणित अभिलेख जनसम्पर्क संचालनालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे.

Scanned with CamScanner

(iii) संचार प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए ऋण पर मासिक किश्त का नियमित भुगतान स्वयं करना होगा. बैंकों को ऋण के मूल एवं ब्याज के नियमित भुगतान करने संबंधी बैंक का प्रमाण-पत्र जनसम्पर्क संचालनालय में प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की गणना कर संबंधित पत्रकार के बैंक खातों में राशि दी जाएगी.

7. **योजना राशि की गणना :—**

(i) ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति त्रैमासिक की जाएगी. किसी भी दशा में अनुदान राशि का भुगतान एकजाई नहीं किया जायेगा.

(ii) आवास ऋण ब्याज अनुदान अधोलिखित अनुसार की जायेगी :

$$\frac{\text{वित्तीय वर्ष में बैंक में देय ब्याज} \times 5\% \text{ ब्याज अनुदान}}{\text{बैंक ब्याज प्रतिशत दर}}$$

(iii) आवास ऋण रुपये 30 लाख से अधिक होने की दशा में ब्याज अनुदान की गणना दो चरणों में की जायेगी :—

(a) **प्रथम चरण :** अधिकतम राशि रु. 30 लाख तक की ब्याज गणना :

$$\frac{\text{योजनान्तर्गत अधिकतम राशि (रु. 30.00 लाख)} \times \text{वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ऋण पर देयक ब्याज राशि}}{\text{स्वीकृत आवास ऋण राशि}}$$

(b) **द्वितीय चरण :** ब्याज अनुदान राशि की गणना :

$$\frac{\text{प्रथम चरण में गणना पश्चात् प्राप्त ब्याज राशि} \times 5\% \text{ ब्याज अनुदान}}{\text{बैंक ब्याज प्रतिशत दर}}$$

8. **योजना हेतु समिति :—**

(i) प्रथम बार ब्याज अनुदान स्वीकृति के लिए संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारियों की निम्न समिति विचार कर अनुशंसा करेगी :—

(a) आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय
(b) अपर संचालक (पत्रकार कल्याण)
(c) अपर संचालक (समाचार)
(d) उप संचालक/संयुक्त संचालक (वित्त)

9. **योजना हेतु निर्णयात्मक शर्त/अधिकार :—**

(i) ब्याज अनुदान स्वीकृत करने के किसी भी प्रश्न पर तत्समय में प्रचलित अधिमान्यता नियमों में उल्लेखित संचार संस्थान एवं संचार प्रतिनिधि की अर्हतादायी शर्तों पर भी विचार किया जायेगा.

(ii) ब्याज अनुदान स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क को होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव.

Scanned with CamScanner